हिन्दुस्तान 29/4/16

बिहार सरकार

शिक्षा –विभाग

निदेशक (शोध एंव प्रशिक्षण) शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक– 169 दिनांक– 21.04.16 के आदेशानुसार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चकला, किशनगंज में दो वर्षीय पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण (डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एजुकेशन) अकादमिक सत्र 2016–18 में नामांकन हेतु विज्ञापन ।

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	नामांकन हेतु सीटों की संख्या
01	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चकला पो०–चकला जिला– किशनगंज	पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए (सह शिक्षा) कुल सीट 100

नामांकन हेतु अहर्त्ता :–

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा स्वीकृत सीटों में से 50 प्रतिशत सीटों के विरूद्व नामांकन हेतु आवेदन कक्षा 6,7 एवं 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अप्रशिक्षित शिक्षक/अभ्यर्थियों से तथा शेष 50 प्रतिशत सीटों के विरूद्व नामांकन हेतु कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अप्रशिक्षित शिक्षक/अभ्यर्थियों से आमंत्रित किया जाएगा। निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण) शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक– 488 दिनांक– 29.07.15 के आलोक में नामांकन हेतु मेधा सूची का निर्माण दोनों श्रेणियों में राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अप्रशिक्षित शिक्षक/अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर कोटिवार किया जाएगा। समान श्रेणी के नामांकन में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण एवं शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी, साथ ही दोनों श्रेणी की मेधा सूची में उपरोक्त कोटि के शिक्षक के नामांकन के उपरान्त सीट शेष रह जाती है तो उसके विरूद्व (TET) उत्तीर्ण अतियोजित अभ्यर्थियों का नामांकन किया जायेगा। समान श्रेणी में अंकों का प्रतिशत समान रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. नामांकन हेतु सामान्य अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक अहर्त्ता इन्टरमीडिएट/+2 में 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण तथा आरक्षित कोटि/निःशक्त के लिए 05 प्रतिशत की छूट होगी ।
   निःशक्त अभ्यर्थी के लिए 03 (तीन) प्रतिशत सीट आरक्षित होगा। इस हेतु असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा गठित बोर्ड से प्रदत्त (निःशक्ता कम से कम 40 प्रतिशत का) प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।
3. उर्दू विषय के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षक/ अभ्यर्थियों के लिए दोनों श्रेणी में 10 (दस) प्रतिशत सीट आरक्षित है । इस हेतु मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी अथवा उर्दू भाषा के साथ इन्टरमीडिएट/+2 उत्तीर्ण आवेदक आवेदन देने के पात्र होंगे बशर्ते इसके लिए उन्होंने दावा किया हो।
4. आयुः– पहली जनवरी, 2016 को न्यूनतम 17 वर्ष होना चाहिए ।
5. नामांकन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा ।
6. चयनित अभ्यर्थी को नामांकन के समय प्रथम वर्ष के लिए 11500/–(ग्यारह हजार पाँच सौ रूपये मात्र) की राशि नामांकन शुल्क देना होगा । अनुसूचित जाति/अनु०जनजाति एवं निःशक्त के लिए राशि– 7000/–(सात हजार मात्र) होगी । यह राशि मासिक भोजन एवं आवास शुल्क को छोड़कर है ।
7. निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण) शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक– 658 दिनांक– 09.11.15 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा सवैतनिक अवकाश की स्वीकृति संबंधी आदेश की कॉपी तथा नियोजन नियमावली में वर्णित आशय का बाण्ड पेपर प्राप्त होने के उपरान्त ही अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों का प्रशिक्षण महाविद्यालय में नामांकन किया जाएगा, साथ ही उक्त पत्र में सवैतनिक अवकाश प्रदान करने संबंधी निर्धारित सभी मापदंड यथावत लागू होंगें।
8. नामांकन के लिए राज्य के अहर्त्ताधारी अभ्यर्थी दिनांक 12.05.2016 तक विहित प्रपत्र में हस्तलिखित/टंकित/मुद्रित/कम्प्यूटरीकृत आवेदन–पत्र सभी प्रमाण–पत्रों की छाया प्रति स्वअभिप्रमाणित कर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, (डायट), किशनगंज, पो०– चकला, भाया+जिला– किशनगंज पिन–855107 के पते पर भेजेंगे । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन–पत्र किसी भी परिस्थिति मे स्वीकार नही किये जायेंगे। साधारण डाक/कुरियर/हाथों–हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप संस्थान के वेबसाईट ***WWW.dietkishanganj.org*** पर डाउनलोड किया जा सकता है अथवा संस्थान के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।
9. आवेदन–पत्र के साथ प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, किशनगंज (Principal District Institute of Education & Training Kishanganj) के पदनाम से 100/– (एक सौ रूपया) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करें जो किसी भी **राष्ट्रीयकृत बैंक/भारतीय स्टेट बैंक** से निर्गत होना चाहिए एवं **किशनगंज में भुगतेय** होना चाहिए। उक्त बैंक ड्राफ्ट की राशि पुनः वापस नही की जाएगी । किसी भी परिस्थिति में पोस्टल ऑर्डर मान्य नहीं होगा ।

10. आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा–

(i) पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन–पत्र के साथ 100/–(एक सौ रूपये) का बैंक ड्राफ्ट ।
(ii) अंक पत्रों एवं प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति ।
(iii) TET उत्तीर्णता के प्रमाण–पत्र एवं प्रवेश पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति ।
(iv) नियोजन/योगदान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति ।
(v) जन्म तिथि प्रमाण–पत्र के रूप मे मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति ।
(vi) सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्त /आरक्षित कोटि के लिए जाति प्रमाण–पत्र एवं आवासीय प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति ।
(vii) आवेदन पत्र के साथ 25/– रू० का डाक टिकट सटा स्वपता लिखा लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है।

11. आवदेन पत्र में अपना मोबाईल न0/ई–मेल लिखना अनिवार्य होगा ।
12. आवेदन–पत्र के लिफाफे के उपर मोटे अक्षरों में "D. El. Ed (सत्र 2016–18) दो वर्षीय सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु आवेदन–पत्र" लिखना अनिवार्य होगा ।
13. **सत्र 2016–18 में नामांकन का कार्य निम्न कैलेंडर के अनुसार होगा :–**

I.	आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	–	12.05.2016 तक
II.	वृहत मेधा सूची का निर्माण एंव नामांकन समिति बैठक आयोजन	–	16.05.2016 तक
III.	वृहत मेधा सूची (सीट से 10 गुणा) का प्रकाशन (महाविद्यालय के वेबसाईट एवं सूचना पट पर)	–	18.05.2016 तक
IV.	मेधा सूची पर अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति प्राप्त करना	–	30.05.2016 तक
V.	प्राप्त आपत्ति के निराकरण के उपरान्त अन्तिम मेधा सूची (सीट के अनुसार अभ्यार्थियों की सूची) एवं कोटिवार / विशयवार संपूर्ण प्रतीक्षक सूची का प्रकाशन (महाविधालय के बेवसाईट एवं सूचना पट पर) एवं अंतिम मेधा सूची तथा संपूर्ण प्रतीक्षक सूची की हार्ड कॉपी की एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जाना	–	06.06.2016
VI.	नामांकन हेतु सूचना प्रेषण (दूरभाष/ई–मेल/ बेवसाईट) द्वारा	–	08.06.2016 तक
VII.	नामांकन (प्रथम सूची एवं तदुपरांत प्रतीक्षक सूची, दोनों के आधार पर)	–	13.06.2016 से 24.06.2016 तक
VIII.	नामांकन प्रक्रिया बन्द	–	25 जून 2016 से
IX.	कक्षा संचालन की तैयारी (परिचय पत्र, निबंधन, प्रशिक्षण महाविद्यालय के शिक्षक एवं वरीय सत्र के छात्रों से पारस्परिक विचार–विमर्श इत्यादि)	–	25 जून 2016से 30 जून 2016
X.	शिक्षण कार्य प्रारंभ करना	–	01.07.2016 से

14. **अभ्यर्थियों को विज्ञापन में वर्णित नामांकन कैलंडर की तिथियों के अनुसार नामांकन संबंधी सूचनायें संस्थान के वेबसाइट तथा सूचना पट्ट से स्वंय प्राप्त करनी होगी। सूचना अप्राप्त होने की स्थिति में नामांकन से वंचित रहने पर संस्थान की जबावदेही नहीं होगी।**

प्रभारी प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण, संस्थान,
चकला, किशनगंज

जिला शिक्षा पदाधिकारी
किशनगंज

PR 938 (Education) 16-17

वेतन भत्ता की चादर हो जितनी, फैला पांव लालसा की उतनी।